भारतीय लोकतंत्र में मानवाधिकार

डॉ. मिथिलेश कुमार*

Abstract–व्यक्ति के लिए हर पल, हर क्षण, हर काल में मानवाधिकार स्वयं के विकास के लिए अपरिहार्य तत्व है और इसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेना पड़ता है मानवाधिकार की रक्षा करना सरकार के साथ–साथ हर एक लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। स्वयं के मानवाधिकार में दूसरे का मानव अधिकार का हनन ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है. आधुनिक कालीन शब्द होते हुए भी मानवाधिकार का अस्तित्व तब से है जब से मानव का अस्तित्व है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को आत्मसात करना जहां प्रत्येक व्यक्ति का मानवाधिकार है वही मानव को विकास के तमाम अवसर मुहैया कराना मानवाधिकारों की व्यापकता को बताता है।

की वर्ड – लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुरक्षा, शोषण, स्वतंत्रता, संघर्ष

प्राकृतिक दृष्टि से सामाजिक जीवन की वे दशाएं जो मानव के हित में सर्वांगीण विकास के लिए अनकूल कानून का वातावरण प्रदान करता हो मानवाधिकार कहलाता है। मानवाधिकार राज्य को अपने उस नैतिक सिद्धांत की याद दिलाता है जिसके तहत वह अपने राज्य के समस्त नागरिकों के अस्तित्व और विकास की गारंटी लेता है क्योंकि पहले माना जाता था कि ईश्वर की आज्ञा से ही सब कुछ होता है लेकिन धीरे धीरे यह मान्यता समाप्त होने लगी और सामाजिक सोच में भी बदलाव आ गया चार्ल्स डार्विन की वैज्ञानिक विधि ने यह सिद्ध कर दिखाया था कि मानव किसी दैवी सत्ता की उपज न होकर प्र.ति के विकास का स्वतंत्र परिणाम है। अतः मानव के आगे बढ़ने में कोई दैवी सत्ता सहायक या बाधक नहीं बन सकती। मानव अपने प्रयत्नों से अपना भाग्य बना सकता है। भौतिकवादी मानवादी कार्ल मार्क्स, व्यवहारवादी दार्शनिक जॉन डीवी आदि ने डार्विन के विचारों के आधार पर अपने मानववादी के विचारों का प्रतिपादन किया।[1] समाज में मानववादी विचारों की मान्यता बढ़ने के साथ ही मानव अपने अधिकारों के प्रति सजग सक्रिय है जिससे हम राज्य को मानव के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

***एम.ए., पी–एच.डी. स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर**

समाज, समुदाय के वृहत स्वरूप में व्यक्ति शासन व्यवस्था के किसी न किसी स्वरूप में स्वयं को अवश्य ढालना चाहता है क्योंकि इसके अभाव में मत्स्य न्याय अथवा नकारात्मक अराजकतावादी व्यवस्था हावी होने की संभावना वढ़ती जाती है। मानव अपने प्रारंभिक काल से लेकर अब तक किसी न किसी शासन व्यवस्था को स्वीकार करते रहा है। आज जबकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय शासन व्यवस्था कहीं जाती है इस संदर्भ में भारत गर्व कर सकता है कि वह दुनिया का विशाल लोकतांत्रिक देश होने का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक लोगों को अधिकतम आजादी व सुरक्षा का वातावरण देने की गारंटी संवैधानिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टि से लेता है। सुभाष कश्यप ने लिखा है लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है आदर्शतया जनता ही स्वयं अपने ऊपर शासन करती है।[2] हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को आज यदि सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है तो इसका कारण यह है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास के साथ साथ तमाम तरह के आस्थाओं की आजादी मिल जाती है। व्यक्ति के समस्त अधिकारों की सर्वाधिक सुरक्षा लोकतंत्र में ही संभव है ऐसे में व्यक्ति का मानवाधिकार स्वस्थ लोकतंत्र में सर्वाधिक सुरक्षित रहता है और ना केवल रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता की पूर्ति होती है बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान की भी गारंटी सरकार व्यक्ति को प्रदान करती है।

प्राचीन कालीन व्यवस्था हो अथवा आधुनिककालीन कानून व्यवस्था, विश्व की अपेक्षा अपने देश में मानवाधिकार को हमेशा प्रश्रय दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है, इस अधिकार को हर एक व्यक्ति को अंगीकार कराने का प्रयत्न किया गया है वसुधैव कुटुंबकम मानी जाने वाली हमारी संस्कृति पूरे विश्व को परिवार मानकर सबों का भरण पोषण, संरक्षण सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की बात कहती है। मानव के मौलिक अधिकार के संबंध में ब्रिटेन का मैग्नाकार्टा मानव अधिकार के नाम पर ग्रेट चार्टर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सामंतवाद से मुक्ति के नाम पर लोगों को कुछ अधिकार दिए गए और विश्व में 1215 के बाद इतिहास को नया स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई। वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिंतन को अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद में राजा से व्यक्ति को सम्मान देने की अपेक्षा की गई है। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि राजा आर्य अथवा शूद्र सभी के प्रिय रहे।[3] यहां तो हमेशा सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुख भाग्भवेत. की कल्पना की गई है अर्थात सभी के सुखी, निरोगी, शुभ और दुखरहित होने की कामना की गई है। कौटिल्य ने कहा है राजा को प्रजा के सुख में अपना सुख देखना चाहिए. प्रजा के सुख में ही राजा

का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है।[4] मनुस्मृति में अपराधियों पर किसी तरह की सहानुभूति की बात को अपनाने से नकार देने की बात कही गई है। अपराधियों में पिता, आचार्य, मित्र, माँ, पत्नी, पुत्र, को भी दंड जरूर मिलना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 में स्वीकार किया गया इस संदर्भ में न्यायमूर्ति लाटरपैट ने मत प्रकट किया था कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक ऐतिहासिक घटना है तथा संयुक्त राष्ट्र की सबसे महान उपलब्धि है।[5] हम देखते हैं कि 1946 में महासभा ने न्यूरेमबर्ग न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नियमों की स्वीकृति प्रदान की। 1948 में महासभा ने मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को पारित किया। यह घोषणा मानवीय अधिकारों के संबंध में व्यक्ति की महत्वपूर्ण विजय है। इसकी प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक अंग यह प्रयत्न करेगा कि घोषणा में वर्णित अधिकारों तथा स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करें तथा लागू करें।[6] लेकिन इसके पूर्व भी भारतीय सन्दर्भ में देखें तो लोगों के अधिकारों के साथ उनकी गरिमा की रक्षा करने की बात कही गई थी। 1931 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करांची अधिवेशन में सरकार से मांग की गई कि व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने के साथ–साथ उनकी गरिमा की भी रक्षा की गारंटी सरकार ले। संगठन बनाने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, अपनी संस्कृति में संशोधन के लिए बाध्य नहीं किया जाए। धर्म के मामले में राज्य तटस्थ रहे, वयस्क मताधिकार, निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, कृषि दासता से मुक्ति, महिला मजदूरों का संरक्षण, प्रसव अवधि में अवकाश, मादक पेय पदार्थों का पूर्ण निषेध, नमक पर कर की समाप्ति एवं सुद खोरी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण जैसे कई मुद्दों के माध्यम से सरकार को व्यक्तिगत आजादी और उसके विकास के लिए उपयुक्त माहौल बनाने की बात कही गई थी।[7] संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार के माध्यम से लोगों को मानवाधिकार देने की कोशिश की। इन सब की अभिव्यक्ति अपने संविधान के प्रस्तावना देखकर की भी लगाई जा सकती है जिसमें कहा गया है कि भारत संप्रभुसंपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा और यहां के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता आदि सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।[8] संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि के माध्यम से व्यक्ति को तमाम मौलिक अधिकार प्रदान करने की कोशिश की जिससे लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हो वह अपना सर्वांगीण विकास करने में

सफल हो सके।

एक ओर लोकतंत्र में लोक के लिए तमाम तरह के सुरक्षा संरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है तो दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जिससे लगता है कि मानवाधिकार के सुरक्षित परिणति के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को अभी मिलो सफर तय करना बाकी रह गया है। जब हम देखते हैं कि आज भी व्यक्ति विकास की पराकाष्ठा की ओर अग्रसर ना होकर जंगलराज जैसी दुनिया में विवशता और यातना के साथ जी रहा है तो लगता है कि तमाम अधिकारों को मुर्त रूप देने के लिए अभी काफी अधिक जद्दोजहद करना शेष है।

संवैधानिक दृष्टि से जातिगत विषमता को समानता के अधिकार के माध्यम से दूर किया गया है लेकिन अभी भी समाज में दलित तबक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं ये अभी भी पिछड़ेपन के शिकार हैं. जाति प्रथा अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक भेदभाव का कारक बना हुआ है जो आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। इन सबका दुष्प्रभाव उसके मानवाधिकार पर पड़ता है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था जो बदलाव का वाहक ना बन सके कहीं न कहीं व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह अवश्य अवश्य उठाता है।

भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से हमारे देश का जनजाति समुदाय भी पिछड़ेपन के शिकार है प्रशासनिक राजनीतिक दृष्टि से ऊंचे मुकाम पर नहीं जा सके हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था भी संपूर्णता को हासिल करने में अभी तक नाकामयाबी रही है राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में जनजातीय क्षेत्र पर सरकार यद्यपि समय–समय पर लाभदायक कानून बनाते रहती है फिर भी धरातल पर समस्त जनजाति समुदाय के मानव अधिकार अधिकार के माध्यम से उन्हें विकास के पायदान पर पहुंचाना अभी सरल नहीं हो पाया है मानवाधिकार के उल्लंघन की चर्चा करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग उल्लंघन के दुष्प्रभाव में पिसते रहे हैं। इनमें भी दलित, आदिवासी, महिलाएं विशेष रूप से विभिन्न अत्याचारों एवं आक्रमण के शिकार बने। इन मामलों में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस निष्क्रिय से रहे तथा जुल्मों के शिकार हुए लोग समुचित न्यायोपचार से वंचित रहे।[9] मानव होने के नाते सभी लोगों को मानव अधिकार प्राप्त है चाहे वह कोई भी ही क्यों ना हो। किसी भी व्यक्ति की अवैध गिरतारी किसी भी सुरत मे नही की जा सकती। यहाँ तक कि सजा काट रहे कैदियों को भी मानवाधिकार प्राप्त है। उसके साथ भी कानून के खिलाफ किसी तरह का अत्याचार नहीं किया जा सकता।[10] आज भारत समेत पूरी दुनिया में आतंकवाद इतनी दिवस के रूप में सामने आया कि निर्दोष

लोगों का मानवाधिकार कुचल दिया जाता है राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और सामूहिक हत्याओं का कुत्सित रास्ता अपनाया जा रहा है दृष्टि से समृद्ध और विकसित किए जाने वाले देशों में आतंकवाद की यह प्रवृत्ति विशेष रूप से पनप रही है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पिता राजीव गांधी की हत्या अमेरिका के 110 मंजिली वर्ल्ड टावर पर आतंकवादी हमला जैसे अनेकों हमला में लाखों लोग दलित जा चुके हैं।[11]

आज रोटी कपड़ा मकान के साथ–साथ पर्यावरण का भी अधिकार लोगों को मिले यह बहुत जरूरी हो गया है लेकिन आज की प्रकृति यह हो गई है कि लोग प्रकृति का इतना अधिक शोषण अधिक कर रहे हैं कि उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि आ बैल मुझे मार वाली प्रस्तुति हो रही है। स्थिति इतना अधिक विकट हो गया है कि सबसे पहले लोगों को जो स्वस्थ जीवन का अधिकार मिलना चाहिए यदि वही नहीं रहेगा तो और मानवाधिकार का महत्व ही क्या रह जाएगा। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भूमंडलीय तापमान में काफी वृद्धि हो रही है बरसात और वायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खेती की उपज प्रभावित हो रही है। ओजोन परत के क्षरण से चर्म रोग बढ़ता जा रहा है जा रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। मानव विकास कर रहा है लेकिन कितना, खुद पता नहीं चल पा रहा है।[12] आज लोग इतना अधिक परेशान है फिर भी वह कुछ नहीं समझ पा रहे हैं यहां पर हिंद स्वराज में गांधी जी द्वारा कही गई बात एकदम चरितार्थ होती हुई दिखती है कि नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मानता है जब उसकी नींद खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है।[13]

1. शेखर, सुधांशु य पर्यावरण और मानवाधिकार, डी.एस बुक्स डिसटीब्यूटर, पटना , 2013, पृष्ठ – 85
2. कश्यप, सुभाष य हमारा संविधान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, आठवां संस्करण, पृष्ठ 01
3. शर्मा, सुभाष यभारत में मानवाधिकारय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , भारत. प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 31
4 वही, पृ– 32
5. एच. लाटरपैटय इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, पृष्ठ– 394
6. कपूर, डॉ. श्याम किशोर य सेंट्रल लॉ एजेंसी, संस्करण– 1995, पृष्ठ 109
7. शर्मा, सुभाष यभारत में मानवाधिकारय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , भारत. प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 35–36.
8. बसु, आचार्य डॉक्टर दुर्गादास, लेक्सिस नेक्सिसय संस्करण 2015, पृ 23
9. लाल, राजेश्वरय, पुस्तक भवन, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ– 40
10. योजना (मासिक पत्रिका), प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, वर्ष–55, अंक 4, अप्रैल 2011, पृ– 39
11. सिंघल, डॉ सुरेश चंद्र य अंतरराष्ट्रीय राजनीति, प्रकाशक लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा. प्रथम संस्करण–2003 पृष्ठ 99
12. शर्मा, सुभाष यभारत में मानवाधिकारय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , भारत. प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 150
13. गांधी, हिंद स्वराज्य, अनुवाद– सेवा संघ प्रकाशन,वंद वाराणसी, पृ– 38